



राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-1) विभाग

क्रमांक : प.5(3)कार्मिक/क-1/ 2025

जयपुर, दिनांक : 31-12-2025

आज्ञा

डॉ. कविता सिंह (2012), आई.एफ.एस.; श्री अजय चित्तौड़ा (2012), आई.एफ.एस.; श्री अशोक कुमार महरिया (2012), आई.एफ.एस.; श्री हरि किशन सारस्वत (2012), आई.एफ.एस.; श्री देवेन्द्र प्रताप जागावत (2012), आई.एफ.एस.; श्री संजय प्रकाश भादू (2012), आई.एफ.एस.; श्री रमेश कुमार मालपानी (2012), आई.एफ.एस.; श्री राजेन्द्र कुमार हुड्डा (2012), आई.एफ.एस.; श्री महेन्द्र कुमार शर्मा (2012), आई.एफ.एस.; श्री सुदर्शन शर्मा (2012), आई.एफ.एस. एवं श्री मुकेश सैनी (2012), आई.एफ.एस. को भारतीय वन सेवा की चयन वेतन श्रृंखला से वन संरक्षक वेतन श्रृंखला (Level 13A in Pay Matrix) में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है।

श्रीमती सविता दहिया (2013), आई.एफ.एस.; श्री हेमन्त सिंह (2013), आई.एफ.एस. (प्रोफार्मा पदोन्नति) एवं श्री अजीत उचोई (2013), आई.एफ.एस. को भारतीय वन सेवा की कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला से चयन वेतन श्रृंखला (Level 13 in Pay Matrix) में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है।

श्री सुनील कुमार (2017), आई.एफ.एस.; श्री पवार सागर पोपट (2017), आई.एफ.एस.; श्री अभिमन्यु सहारण (2017), आई.एफ.एस. एवं श्री रंगास्वामी ई (2017), आई.एफ.एस. (प्रोफार्मा पदोन्नति) को भारतीय वन सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला (Level 12 in Pay Matrix) में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है।

श्री पाटिल तेजस विष्णु (2021), आई.एफ.एस.; श्री बडे विवेकानंद माणिकराव (2022), आई.एफ.एस.; सुश्री काविया पी बी (2022), आई.एफ.एस.; श्री चेतन कुमार बी वी (2022), आई.एफ.एस. एवं श्री जी वेंकटेश (2022), आई.एफ.एस. को भारतीय वन सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला से वरिष्ठ वेतन श्रृंखला (Level 11 in Pay Matrix) में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है।

उपरोक्त सभी अधिकारीगण आगामी आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

यह आज्ञा दिनांक 01.01.2026 से प्रभावी होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. धीरज कुमार सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त उप मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 4 संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 5 सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / सम्भागीय आयुक्त / विशिष्ट शासन सचिव।
- 6 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
- 7 समस्त सम्बन्धित कण्ट्रोलिंग अधिकारी।
- 8 समस्त संबंधित अधिकारी। आधारभूत नियम एफ.आर.22(I) (a)(1) के अनुसार निर्धारित समयावधि (पदोन्नति दिनांक से एक माह तक) में पदोन्नति दिनांक अथवा आगामी वेतन वृद्धि दिनांक से वेतन निर्धारण के विकल्प का चयन किया जा सकता है।
- 9 संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
- 10 निजी पत्रावली / लेखा पत्रावली / रक्षित पत्रावली।
- 11 संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके कार्यालय से कार्यमुक्त होने वाले अधिकारीगण के गत भुगतान प्रमाण-पत्र (LPC) की प्रति एवं उपरोक्त पद हेतु उन्हें भुगतान किए गए वेतन के आधार पर सेवा सत्यापन की सूचना (प्रपत्र GA-141 में) इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली।
- 2 मुख्य आवासीय आयुक्त, राजस्थान सरकार, बीकानेर हाउस, पण्डारा रोड, नई दिल्ली।

संयुक्त शासन सचिव